रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 10, 2000/माघ 21, 1921
No. 87] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 10, 2000/MAGHA 21, 1921

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2000

का. आ. 118(अ).— जबकि भारत सरकार ने 10 फरवरी, 1949 को विशेषज्ञता प्राप्त एजेन्सियों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय को स्वीकार किया था ; और

जबकि 16 दिसम्बर, 1977 को विशेषज्ञता प्राप्त एजेन्सियों के एक कोष के रूप में स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (जिसे इसमें इसके बाद कोष कहा गया है) अपने क्रिया-कलापों के संबंध में, विशेषकर भारत में, उक्त अभिसमय की धारा 41 के अनुसरण में विशेषज्ञता प्राप्त एजेन्सियों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित अभिसमय के लिए भारत का अनुसमर्थन प्राप्त करने की कामना कर रहा है;

अतः अब संयुक्त राष्ट्र संघ (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के अनुसरण में भारत सरकार यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित परिशोधनों के साथ कोष के प्रतिनिधियों और अधिकारियों पर यथोचित परिवर्तित रूप में लागू होंगेः अर्थात,

(1) अधिनियम की धारा 19 में उल्लिखित विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां, छूट और सुविधाएँ कोष के उपाध्यक्ष को भी प्रदान की जाएँगी ।

(2) (i) कोष की समितियों में सेवारत अथवा कोष के कार्य निष्पादन में लगे विशेषज्ञों (अनुच्छेद v के कार्य-क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों को छोड़कर) को निम्नलिखित विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की जाएंगी जहां तक उनके क्रिया-कलापों को प्रभावी अंजाम देने के लिए इन्हें दिया जाना आवश्यक है और इनमें ऐसी समितियों अथवा कार्यों से जुड़ी सेवाओं के संबंध में यात्रा में बिताया गया समय भी शामिल हैः

(क) व्यक्तिगत गिरफ्तारी अथवा उनके व्यक्तिगत सामान के जब्त किए जाने से उन्मुक्ति;

(ख) अपने आधिकारिक कार्यों के निष्पादन में उनके द्वारा उच्चारित अथवा लिखित वक्तव्यों अथवा किए गए कृत्यों के संबंध में प्रत्येक प्रकार की विधिक प्रक्रिया से उन्मुक्ति, ऐसी उन्मुक्ति के रहते हुए भी दी जाती रहेगी कि संबंधित व्यक्ति कोष की समितियों में काम नहीं कर रहे हैं अथवा कोष के कार्यों में नहीं लगे हुए हैं;

(ग) मुद्रा और विनिमय प्रतिबन्धों के संबंध में और उनके व्यक्तिगत सामान के संबंध में उसी प्रकार की सुविधाएं जो अस्थायी सरकारी कार्यो पर विदेशी सरकारों के अधिकारियों को दी जाती है;

(घ) कोष के जिस कार्य से वे जुड़े हैं उससे संबंधित और कोष से सम्बद्ध उनके पत्राचार के प्रयोजनार्थ उनके कागजात और दस्तावेजों की अलंघनीयता, कोडों के प्रयोग और कूरियर के मार्फत अथवा सीलबन्द थैलों में कागजात अथवा पत्राचार प्राप्त करने का अधिकार ।

(ii) उपर्युक्त 2 (i) के (घ) के संबंध में अभिसमय के मानक खण्डों की धारा 12 के अन्तिम वाक्य में निर्दिष्ट सिद्धान्त लागू होगा ।

(iii) विशेषज्ञों को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां कोष के हित में प्रदान की जाती हैं न कि उनके व्यक्तिगत निजी लाभ के लिए । कोष की यदि यह राय है कि उन्मुक्ति दिए जाने से न्याय के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी तो उसके पास किसी भी मामले में किसी भी विशेषज्ञ से उन्मुक्ति वापस ले लेने का अधिकार व दायित्व होगा और इसे कोष के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वापस लिया जा सकता है ।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी

[फा. सं. यू आई/451/1/99]

आ. गोपीनाथन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2000

S. O. 118(E).--Whereas the Government of India acceded to the United Nations Convention on the Privileges and Immunities of the Specialised Agencies on February 10, 1949; and

Whereas the International Fund for Agricultural Development (hereinafter "the Fund") established as one of the Specialised Agencies on December 16, 1977 is seeking India's ratification of the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialised Agencies with respect to its activities, specially in India, in terms of section 41 of the said Convention;

Now, Therefore, in pursuance of section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act 1947 (XLVI of 1947), the Government of India is pleased to declare that the provisions of the Schedule to the said Act shall apply mutatis mutandis to the representatives and officers of the Fund subject to the following modifications, namely:

(1) The privileges, immunities, exemptions and facilities referred to in section 19 of the Act shall also be accorded to any Vice-President of the Fund.

(2) (i) Experts (other than officials coming within the scope of article V) servicing on committees of, or performing missions for the Fund shall be accorded the following privileges and immunities so far as is necessary for the effective exercise of their functions, including the time spent on journey in connection with service on such committees or missions:

(a) immunity from personal arrest or seizure of their personal baggage;

(b) in respect of words spoken or written or acts done by them in the performance of their official functions, immunity from legal process of every kind, such immunity to continue notwithstanding that the persons concerned are no longer serving on committees of, or employed on missions for, the Fund;

(c) the same facilities in respect of currency and exchange restrictions and in respect of their personal baggage as are accorded to officials of foreign governments on temporary official missions;

(d) inviolability of their papers and documents relating to the work on which they are engaged for the Fund and, for the purpose of their communications with the Fund, the right to use codes and to receive papers or correspondence by courier or in sealed bags.

(ii) In connection with (d) of 2 (i) above, the principle contained in the last sentence of section 12 of the standard clauses of the Convention shall be applicable.

(iii) Privileges and immunities are granted to the experts in the interests of the Fund and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Fund shall have the right and the duty to waive the immunity of any expert in any case where in its opinion the immunity would impede the course of justice, and it can be waived without prejudice to the interests of the Fund.

2. The notification shall come into force on the date of its publication in the official gazette.

[File No UI/451/1/99]

A. GOPINATHAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Lajpat Nagar, New Delhi-110064
Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—2000